न्यायालय विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–4, फिरोजाबाद

सेशन केस संख्या– 23/2021

UPFD01000078 2021

<u>राज्य बनाम जसराम</u>

<u>दिनांक– 02–04–2026</u>

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं है। विद्युत विभाग के पैनल अधिवक्तागण उपस्थित।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण के अभियुक्त जसराम की मृत्यु होने संबंधी आख्या थाना स्थानीय को प्रेषित नोटिस/सम्मन पर प्राप्त हुई तथा अभियुक्त की मृत्यु से संबंधित मृत्यु प्रमाणपत्र को भी नोटिस/सम्मन के साथ थाना स्थानीय द्वारा दाखिल किया गया है।

अभियुक्त की मृत्यु होने संबंधी आख्या की पुष्टि किए जाने हेतु अभियोजन की ओर से हेड का० कैलाश तिवारी, हाल तैनाती थाना रसूलपुर, फिरोजाबाद ने सी०डब्लू–1 के रूप में परीक्षित होकर पत्रावली पर उपलब्ध अभियुक्त उपरोक्त के मृत्यु प्रमाणपत्र को अपनी साक्ष्य से साबित किया है।

इस प्रकार उपरोक्त प्रकरण में स्पष्ट है कि अभियुक्त जसराम की मृत्यु होना उसके मृत्यु प्रमाणपत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है तथा अभियुक्त की मृत्यु होने के तथ्य की पुष्टि साक्षी सी०डब्लू–1 द्वारा किए जाने के कारण अभियुक्त के विरूद्ध प्रचलित प्रस्तुत मामला उपशमित किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त जसराम के विरूद्ध प्रचलित विशेष सत्र परीक्षण संख्या– 23/2021 राज्य बनाम जसराम, मु०अ०संख्या– 18/2019, अंतर्गत धारा–138B विद्युत अधिनियम थाना–रसूलपुर, जिला–फिरोजाबाद उपशमित किया जाता है।

पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(साक्षी शर्मा)

विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम)/

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–4, फिरोजाबाद।